रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31, 1993/श्रावण 9, 1915

No. 258] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31, 1993/SRAVANA 9, 1915

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला और बाल विकास विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1993

सा. का. नि. 527(अ):—केन्द्रीय सरकार, शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 1993 के अगस्त मास के प्रथम दिन को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं. फा. 12-1/93—एन. टी.]

मीनाक्षी आनन्द चौधरी, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1994

सा. का. नि. 528(अ):—केन्द्रीय सरकार, शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992

का 41) की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) नियम, 1993 है ।

(2) ये शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) के प्रारम्भ की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं:—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 12 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत सरकार का कोई अधिकारी जो वर्ग 1 (समूह "क" या चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) की पंक्ति से नीचे का न हो ।

(ग) "खाद्य निरीक्षक" से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 9 के अधीन सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में हैं ।

3. खाद्य निरीक्षकों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं—खाद्य निरीक्षकों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं वे होंगी जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) के अधीन उनको समनुदिष्ट की गई हैं।

4. प्राधिकृत अधिकारी:—(1) सरकार का कोई अधिकारी राज्य सरकार द्वारा धारा 12 के अधीन तब तक प्राधिकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह—

(क) किसी स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी न हो; या

(ख) आयुर्विज्ञान में स्नातक न हो और उसने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) के अधीन खाद्य निरीक्षण के प्रयोजन के लिए अनुमोदित खाद्य निरीक्षण और नमूना कार्य में कम से कम एक मास का प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो ।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगी ।

5. शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतलों या उपस्करों और उनसे संबंधित सामग्री के स्वास्थ्य देखरेख तंत्र के माध्यम से संदान और वितरण के लिए शर्तें और निबन्धन—कोई भी संस्था, संगठन या निजी व्यवसाय में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो माताओं, शिशुओं या गर्भवती स्त्रियों के स्वास्थ्य की देखरेख में लगा हुआ है, शिशु दुग्ध अनुकल्पों या पोषण बोतलों से संबंधित किन्हीं शिक्षात्मक या अन्य सूचनात्मक अथवा संसूचना संबंधी साधनों का निम्नलिखित शर्तें और निबंधनों का अनुपालन किए बिना संदान या वितरण नहीं करेगा अर्थात्:—

(क) दाता को निम्नलिखित के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए—

(i) स्तनपोषण का संवर्धन करने की आवश्यकता;

(ii) माता के दूध की पोषाहारीय उत्तमता;

(iii) स्तन के दूध के फायदे अर्थात् स्तन का दूध—

(क) शिशुओं के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक खाद्य है,

(ख) सदा स्वच्छ है,

(ग) शिशु की संक्रम और रोगों से रक्षा करता है,

(घ) सदा उपलब्ध है,

(ङ) विशेष रूप से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है;

(iv) स्तन पोषण माता पिता को संतानों के जन्म में अंतर रखने में सहायता करता है।

(v) बोतल पोषण में सूक्ष्मजीवाणु संदूषणों का खतरा अंतर्वलित होता है । पोषण बोतलों से संबंधित सूचनात्मक या शिक्षात्मक उपस्कर या

(ख) शिशु दुग्ध अनुकल्पों या सामग्री का संदान या वितरण केवल उस मामले में किया जाना चाहिए जिसमें वह किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा शिशु के स्वस्थ्य विकास के लिए आवश्यक पाया जाए।

6. सूचना की भाषा और घोषणा की अन्य विशिष्टियां:–

(1) कोई भी व्यक्ति किसी शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य का उत्पादन, प्रदाय या वितरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके आधान पर या उस पर चिपके हुए किसी लेबल पर स्पष्ट, सहजदृश्य और आसानी से पढ़े जाने योग्य और समझी जाने वाली रीति में बड़े अक्षरों में अंग्रेजी और देवनागरी लिपि में उसका पर्याय हिन्दी में "महत्वपूर्ण सूचना" शब्द उपदर्शित न हों; परन्तु इसमें की गई बात इस उपनियम के अधीन प्रयोग की जाने के लिए अपेक्षित भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य स्थानीय भाषा के प्रयोग को निवारित नहीं करेगी ।

2. खाद्य अपमिश्रिण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन लेबल पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली घोषणा की विशिष्टियां अंग्रेजी में या देवनागरी लिपि में हिंदी में होंगी; परन्तु इसमें की कोई बात इस उपनियम के अधीन प्रयोग की जाने के लिए अपेक्षित भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के प्रयोग को निवारित नहीं करेगी ।

7. शिशु खाद्यों पर लेबल लगाने संबंधी विशिष्टियां— खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 195 (1954 का 37) द्वारा या उसके अधीन और अधिनियम की धारा 6 के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक शिशु दुग्ध या शिशु दुग्ध अनुकल्पों के लेबल या आधान या उनके विज्ञापन निम्नलिखित के अनुरूप होंगे, अर्थात्:—

(क) प्रयुक्त अक्षरों के टाइप आकार में 5 मिली मीटर से कम नहीं होंगे ।

(ख) मुद्रित या प्रयुक्त पाठ का रंग यथास्थिति लेबल आधान या विज्ञापन की पृष्ठभूमि के रंग से भिन्न होगा ।

(ग) पाठ की विशिष्टियाँ लेबल, आधान या विज्ञापन के केन्द्रीय भाग में प्रमुख और सहजदृश्य होनी चाहिए ।

(घ) इसमें यह उपदर्शित होगा—

(i) बर्तनों, बोतलों और निपुलों की सफाई में पर्याप्त सावधानी बरतने के अलावा शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु दुग्ध खाद्य को उचित रूप से और स्वच्छ रूप से तैयार किया जाना चाहिए ।

(ii) अनुपयुक्त रूप से तैयार करने के स्वास्थ्य परिसंकट के विरूद्ध निम्नानुसार चेतावनी:—

"शिशु दुग्ध अनुकल्प/शिशु खाद्य

चेतावनी/सावधानी—शिशु खाद्य सावधानीपूर्वक और स्वच्छतापूर्वक तैयार करना स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है। निर्दिष्ट स्कूप से कम प्रयोग न करें, क्योंकि हल्के पोषण से आपके शिशु के लिए अपेक्षित पर्याप्त पोषक तत्व नहीं उपलब्ध होंगे । निर्दिष्ट स्कूप से अधिक का प्रयोग न करें क्योंकि गाढ़े पोषण से आपके शिशु के लिए अपेक्षित जल उपलब्ध नहीं होगा ।"

(iii) उत्पाद के प्रति 100 ग्राम पोषकों का, जिसके अंतर्गत उसकी कैलोरी में ऊर्जा मान भी है, अनुमानित मिश्रण ।

(iv) भंडारण शर्तों में विनिर्दिष्ट रूप से "वायुरोधी आधार में ठंडे और शुष्क स्थान में रखें" या इसी प्रकार उल्लेख किया जाए ।

(v) पोषण चार्ट और प्रयोग के लिए निर्देश तथा छोड़े हुए पोषण को निकाल फैंकने के लिए अनुदेश, बैच संख्यांक तथा विनिर्माण की तारीख ।

(vi) मापक स्कूप (समान या ढेर) के प्रयोग के लिए अनुदेश और प्रति स्कूप मात्रा ।

(vii) विहित अवधि जिस तक, यथास्थिति, शिशु दुग्ध अनुकल्पों या शिशु खाद्य का उपयोग किया जाना है ।

(viii) प्रोटीनता अनुपात जो उस दशा में न्यूनतम 2.5 होगा, यदि शिशु दुग्ध अनुकल्पों और शिशु खाद्यों से भिन्न उत्पाद के बारे में यह दावा किया गया है कि उसमें उच्च क्वालिटी की प्रोटीन है ।

8. विशिष्टियां जो लेबल, आधान या विज्ञापन में नहीं होने चाहिए— खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति लेबल, डिब्बे या विज्ञापन पर किसी भी भाषा में शब्दों के प्रयोग पर निम्नलिखित निर्बंधन लागू होंगे:—

(क) लेबल, आधान या विज्ञापन में अधिनियम या इन नियमों का कोई निर्देश या उस पर कोई टिप्पणी नहीं होगी अथवा अधिनियम या इन नियमों में से किसी नियम द्वारा अपेक्षित कोई निर्देश या किसी विशिष्टी का स्पष्टीकरण या घोषणा लेबल में सम्मिलित नहीं की जाएगी जिससे कि ऐसी विशिष्टीयां या घोषणा प्रत्यक्षतः या उसके प्रभाव से खण्डित, सीमित या संशोधित हो ।

(ख) किसी भी लेबल, आधान या विज्ञापन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा जिसका यह अर्थ हो कि "चिकित्सा वृत्तिक द्वारा सिफारिश किया गया" हो अथवा जिससे यह स्पष्ट हो या यह सुझाव हो कि खाद्य चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा सिफारिश, विहित या अनुमोदित किया गया है ।

(ग) लेबल, आधान या विज्ञापन पर किसी भी भाषा में शब्द "मॉनवत" या "मातृवत" अथवा इस तरह की कोई भी अभिव्यक्ति नहीं होगी ।

(घ) शिशु खाद्य के किसी भी लेबल, आधान या विज्ञापन पर किसी भी भाषा में "पूर्ण प्रोटीन युक्त खाद्य", "ऊर्जायुक्त खाद्य", "पूर्ण खाद्य" या "स्वास्थ्य वर्धक खाद्य" अथवा इसी तरह की कोई भी अभिव्यक्ति नहीं होगी ।

9. शिक्षा या अन्य सामग्री के माध्यम से गर्भवती स्त्रियों या शिशु की माताओं के लिए आशयित सूचना के ब्यौरे—(1) गर्भवती स्त्रियों और शिशु की माताओं के लिए जन्मपूर्व और जन्मोत्तर शिशु की देखभाल और पोषण से संबंधित प्रत्येक शिक्षात्मक अथवा अन्य सामग्री में, चाहे वह दृश्य अथवा श्रव्य हो, धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट सूचना के अतिरिक्त निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

(क) स्तनपान के लाभों और पोषक उत्तमता के भी ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रसव के तुरंत पश्चात् स्तन का दूध पीलापन लिए हुए और गाढ़ा पदार्थ होता है । इस दुग्ध को खीस (क्लोस्ट्रम) कहते हैं जो जन्म के प्रथम सप्ताह के दौरान निकलता है । यह खीस सामान्य दुग्ध की तुलना में अधिक पोषाहारीय होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन अधिक, अधिक रोग निरोधक गुण होते हैं जिसका नवजात शिशुओं को संक्रामक रोगों के विरुद्ध बचाव करने में बहुत महत्व होता है । इसमें विटामिन 'ए' का स्तर भी ऊंचा होता है ।

(2) स्तन का दूध :—

(क) एक पूर्ण और संतुलित खाद्य होता है और यह जन्म के पहले कुछ मासों में शिशु के लिए अपेक्षित सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराता है ।

(ख) स्तन के दूध में संक्रमणरोधी गुण होते हैं जो शिशु को प्रारंभिक मासों में संक्रमण से सुरक्षा करते हैं ।

(ग) स्तन का दूध सर्वदा उपलब्ध रहता है ।

(घ) स्तन का दूध तैयार करने के लिए जल या बर्तनों (जिनमें कीटाणु हो सकते हैं) या ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है ।

(3) स्तन का दूध शिशु दुग्ध अनुकल्प से पोषण करने की तुलना में अधिक सस्ता है क्योंकि मां के लिए अपेक्षित अतिरिक्त खाद्य की लागत शिशु दुग्ध अनुकल्प की लागत की तुलना में कहीं कम होती है ।

(4) जो माताएं स्तन पोषण कराती हैं उनमें बच्चों को जन्म देने की अवधि स्तनपोषण न कराने वाली माताओं के बच्चों के जन्म अन्तराल की अवधि अपेक्षाकृत अधिक होती है ।

(ख) स्तन पोषण के प्रबंधन का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(1) स्तन पोषण —

(क) प्रसव के तुरंत पश्चात् गर्भाशय का सिकुड़न करता है और माता को अपने शरीर को पुनः चुस्त-दुरुस्त रखने में सहायता मिलती है ।

(ख) जब स्तनपोषण सफल होता है तब शिशु प्रायः मां का दूध पीता है और मां भी स्तनपोषण कराने की इच्छा में विश्वस्त होती है ।

(2) स्तनपोषण के संवर्धन और समर्थन के लिए माताओं की स्तनपोषण की स्वाभाविक इच्छा को प्रोत्साहित करने के लिए जब आवश्यक हो व्यावहारिक सलाह दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा करने के लिए उसे उनके नातेदारों का समर्थन है ।

(3) गर्भावस्था के दौरान स्तनों और चूचकों की विशेष देखभाल ।

(4) यह भी आवश्यक है कि जन्म के पश्चात् यथा-संभव शीघ्र शिशु को स्तन से लगा लिया जाना चाहिए ।

(5) जन्म के पश्चात् माता और शिशु को एक साथ रहना चाहिए, माता और शिशु दोनों को एक साथ रहने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए (अस्पताल में, इसे रूमिंग-इन कहते हैं) ।

(6) शिशु को खीस दिया जाए क्योंकि इसमें कई पौष्टिक तत्व और संक्रमण रोधी तत्व होते हैं जो शिशु की उसके जन्म के कुछ दिनों के भीतर संक्रमण से सुरक्षा करते हैं ।

(7) खीस को निकाल फैंकने और चीनी युक्त जल, शहद युक्त जल, मक्खन या खीस की बजाय अन्य कोई तैयार की गई वस्तु देने की प्रथा को दृढ़तापूर्वक हतोत्साहित किया जाना चाहिए ।

(8) शिशुओं की इच्छा पर स्तनपोषण करने दिया जाए ।

(9) जब भी शिशु रोये उसें स्तन पोषण करने का प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए ।

(10) माता को अपने और शिशु के शरीर तथा कपड़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए ।

[सं. फा. 12-1/93-एन.टी.]

मीनाक्षी आनन्द चौधरी, संयुक्त सचिव.